

22 राशि गोवंशीय पशु, एक ट्रक, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ 15 हजार का ईनामिया गोतरकर गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 15 हजार रुपये के पुरस्कारशुदा घोषित अभियुक्त नाम कमलेश पुत्र सूर्यबली निवासी मदारपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को 22 राशि गोवंशीय पशु (20 अदद जिन्दा व 02 अदद मृत पशु), एक ट्रक (टाटा 3718 12 चक्का), 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 653/20 धारा 3/5 (A)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा बरामद अवैध तमंचे के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 654 / 20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

घर मे घुसकर मारपीट करने व जानमाल की धमकी के मामले मे 03 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 382 / 2020 धारा 147 / 148 / 323 / 452 / 504 / 506 / 336 भादवि मे वांछित अभियुक्ता नाम पता माया पुत्री चन्द्रशेखर निवासी महला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर व मु0अ0सं0 383 / 2020 धारा 147 / 148 / 308 / 452 / 324 / 323 / 504 / 506 भादवि मे वांछित अभियुक्ता नाम पता 1- सरोजा देवी पुत्नी भालचन्द 2- बिन्द्रावती पत्नी प्रेमचन्द निवासीगण महला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उभयपक्षों द्वारा जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गयी थी जिसमें पूर्व में दिनांक 14.10.2020 को मु0अ0सं0 382 / 2020 मे वांछित अभियुक्त शशिभूषण पुत्र चन्द्रशेखर व मु0अ0सं0 383 / 2020 मे वांछित अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र स्व0 राजकिशोर यादव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था तथा आज दिनांक 04.11.2020 को वांछित अभियुक्तागण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

युवती को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 399/20 धारा 363/366 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता सोनू यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव निवासी पायलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 19-10-2020 को अभियुक्त द्वारा वादी की बहन को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमे थाना महुली पुलिस द्वारा दिनांक 01.11.2020 को अपहृता को बरामद करते हुए आज दिनांक 01-11-2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त नाम पता रामकेवल पुत्र मिठू प्रसाद निवासी मिश्रौलिया मिश्र थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 311/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 19 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 द्वारा दो पक्षों में हो रहे विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत खरपुरवा से इवेन्ट संख्या 13483 से कालर ने मारपीट होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 11 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आरक्षी राजेन्द्र प्रसाद सिंह, आरक्षी अनिरुद्ध प्रसाद, हो0चा0 मो0 रफीक।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 172 वाहनो से 155000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 172 वाहनो से 155000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।